झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 12 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED 09/03/2022

अपीलकर्त्ता श्रीमती रीता देवी पं०-चतरा, प्र०-पोड़ैयाहाट, गोड्डा।

बनाम

प्रतिवादी DSO, गोड्डा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02/04/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्रीमती रीता देवी, पति–देवनारायण भगत, पंचायत–चतरा, ब्लॉक–पोरयाहाट, गोड्डा, दूरभाष सं0–7782951214** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने जन वितरण प्रणाली विक्रेता तरक्की महिला मंडल, अनु0 सं0–04 / 2010 द्वारा विगत पांच माह से फ्री मिलने वाला राशन (PMGKAY) नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 144 / 2021 दिनांक–29.12.2021 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। (हस्ताक्षर) 4/4/2022 शिकायतकर्ता whatsapp Videocall के माध्यम से उपस्थित होंगे। उन्हें सूचित कर दिया जाए। (हस्ताक्षर) 1/4/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx 13

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.02.2022	वादी पक्ष से श्रीमती रीता देवी विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुई। प्रतिवादी की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित रहें। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें माह जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक का फ्री वाला राशन (PMGKAY) नहीं दिया गया है। माह अक्टूबर में दुकानदार द्वारा शिकायतकर्ता के अंगुठे का निशान लिया गया जिसमें श्रीमती रीता देवी के अनुसार माह सितम्बर एवं अक्टूबर का रसीद निकाला गया परन्तु उन्हें सिर्फ एक माह का राशन दिया गया। पुनः उन्होंने बताया कि वे सपरिवार गोड्डा छोड़कर बरहेट, साहेबगंज में मजदूरी करने के लिए आ गये है। अब उनके द्वारा पोड़ैयाहाट, गोड्डा जाकर राशन उठाने में बहुत अधीक खर्च हो जाता है। माह अक्टूबर के बाद से पोड़ैयाहाट जाकर राशन का उठाव नहीं हो पाया है। साहेबगंज में उन्होंने स्थानीय डीलर के यहां संपर्क कर राशन लेने का प्रयास किया परन्तु स्थानीय डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज से संपर्क कर श्रीमती रीता देवी को बरहेट में ही One Nation One Ration Card के अन्तर्गत राशन उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने को कहा गया जिस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि वे BDO, बरहेट के माध्यम से श्रीमती रीता देवी को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। श्रीमती रीता देवी को BDO, बरहेट से मिलने को कहा गया और कहा गया कि उनको उनका अनाज BDO द्वारा स्थानीय डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आदेशित किया गया कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को जिम्मेदारी देते हुए श्रीमती रीता देवी को उनके काम के स्थान पर ही राशन उपलब्ध करायें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को अपीलकर्ता का मोबाईल नं0 उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता का जुलाई 2021 से PMGKAY का व अन्य बकाया राशन जाँचोपरान्त उपलब्ध करायें। कृत कार्रवाई से **15 दिनों के अन्दर** आयोग को अवगत किया जाय। सुनवाई की अगली तिथि 9 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है। SP 18.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/2/2022 (हलधर महतो) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–09.03.2022 को वाद सं0–12/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

अपीलकर्ता की ओर से श्रीमती रीता देवी विडीयो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहीं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित रहें।

शिकायतकर्ता श्रीमती रीता देवी द्वारा बताया गया कि चार दिन पहले पणन पदाधिकारी द्वारा यह लिखवाकर लिया है कि अगर हम लोगों को बकाया अनाज मिल जाएगा तो हम शिकायत वापस ले लेंगे। दिनांक–10.03.2022 को हम लोगों को बकाया अनाज देने की बात की गई थी। अगर 10.03.2022 को हमें बकाया अनाज मिल जाता है तो हमलोग आयोग को इसकी लिखित सूचना दे देंगे। और यह भी सूचित करेंगे कि हम शिकायत वापस ले रहे है या नही। चूँकि आज की सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को की गई सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी की सहमति से निर्धारित की गई थी जिसमे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को यह भी कहा था कि गोड्डा जिले के चारो चालू वाद पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन आयोग को दिनांक–05.03.2022 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

आयोग को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका सत्यापन रीता देवी ने भी किया।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(डॉ0 रंजना कुमारी)	(हलधर महतो)
सदस्य	सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।	राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 53